



५८

दूरभाष- 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : २७७० / ०५ / ७६ / एक / २०१५-१६
सेवा में,

दिनांक २३ अक्टूबर २०१५

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-प्रतापगढ़।

विषय : वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूड़ा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-३७/८३) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	20427941354	IFSC Code ALLA0210528	63.013
(धनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किशा की धनराशि का प्रेषण
1	प्रतापगढ़	अल्पसंख्यक-३७ बजट	न०पा०५० वेल्हा प्रतापगढ़	वार्ड सं० ०२ पठखौली में पक्की सड़क रो गयास के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.892
2	प्रतापगढ़	अल्पसंख्यक-३७ बजट	न०पा०५० वेल्हा प्रतापगढ़	वार्ड सं० ०२ पठखौली में पक्की सड़क से रशीद के घर होते हुये नरीर के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.863
3	प्रतापगढ़	अल्पसंख्यक-३७ बजट	न०पा०५० वेल्हा प्रतापगढ़	वार्ड सं० ०२ पठखौली में मदरसा के सामने से वहाब भाई के घर होते हुये रशीद के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.008
4	प्रतापगढ़	अल्पसंख्यक-३७ बजट	न०पा०५० वेल्हा प्रतापगढ़	वार्ड सं० ०२ पठखौली में पक्की सड़क रो आजम के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.428
5	प्रतापगढ़	अल्पसंख्यक-३७ बजट	न०पा०५० वेल्हा प्रतापगढ़	वार्ड सं० ०२ पठखौली में निसार के घर रो चांद वावू के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	4.128
6	प्रतापगढ़	अल्पसंख्यक-३७ बजट	न०पा०५० वेल्हा प्रतापगढ़	वार्ड सं० ०२ पठखौली में राजकुमार सरोज के घर से वकरीदी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.630
7	प्रतापगढ़	अल्पसंख्यक-३७ बजट	न०पा०५० वेल्हा प्रतापगढ़	वार्ड सं० ०२ पठखौली में हषवर्द्धन के घर से पुष्पा के घर होते हुये रोनी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.066
8	प्रतापगढ़	अल्पसंख्यक-३७ बजट	न०पा०५० वेल्हा प्रतापगढ़	वार्ड सं० ०२ पठखौली में पक्की सड़क रो गुड़न के घर होते हुये अनवर मिस्त्री के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	21.936



406/IV

दूरभाष- 2286709
2286710

नगर देशना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

क्र. सं.	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वर्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
9	प्रतापगढ़	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 बेल्हा प्रतापगढ़	वार्ड सं0 02 पठखोली में गो0 इलियास के घर से राम अधार के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.998
10	प्रतापगढ़	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 बेल्हा प्रतापगढ़	वार्ड सं0 02 पठखोली में अद्वुल लतीफ के घर से मरिजद होते हुये अकबाल के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.419
11	प्रतापगढ़	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 बेल्हा प्रतापगढ़	वार्ड सं0 02 पठखोली में पक्की राड़क से पेशकार के घर तक इंटरलाकिंग राड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.645
	योग				63.013

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में सी0री0 रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये-

- उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में सी0री0 रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत ढी0पी0आ0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तपश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अथवा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभियान गुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में रामुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभियान को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभियान को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- उक्त धनराशि द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्त्तों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमश इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्त्तों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।



406/3

दूरभाष 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक नार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

- 11- अवमुक्ता की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवहरण अनुमन्य न होगा। शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्ता की जा रही है। उपरोक्त अकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किशत की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमत्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यव्य की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीध्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भावदीय

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

W

W

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रातेलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित ।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियान, सम्यान्वयत जनपद।
 - अपर निदेशक, सूडा।।
 - अधित्र अभियन्ता- सूडा
 - कम्प्यूटर सेल/ लेखा विभाग सूडा।


(लालित प्रकाश सिंह)
वित्त मियन्ट्रक